वित्तीय स्वीकृति

संख्या-40/2016/भा0स0 34/52-3-16-बजट(10)/16

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 10 □□, 2016

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□ □□□□ द्वारा लाट सं0-672 □ 1891 हेतु वर्ष 2014-15 □ 2015-16 □□ स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-□□-8-28/2014 □□ 19, दिनांक 23.3.2016, □0-□□-8-20/2016 □□ 19, दिनांक 23.3.2016, □0-□□-8-3/2015 □□ 19, दिनांक 23.3.2016 □□ □□□□□□□ □0-□□-8-3/ 2013 □□ 19, दिनांक 31.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत उपरोक्त शासनादेशों द्वारा 672 □ 1891 मदरसों हेतु वर्ष 2014-15 □ 2015-16 के लिए निम्नप्रकार कुल रू0 44,88,40,451/- की धनराशि अनुमोदित करते हुये उसमें से लाट सं0-672 की पूर्व वर्षो की बचतों रू0 39,00,000/- के समायोजन के उपरान्त कुल 0 44,49,40,451/- (रू0 चौवालिस करोड़ उन्नचास लाख चालिस हजार चार सं इक्यावन मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी हैः-

क्रमांक	प्रयोजन	□□□□□
1	□□ □0-672 □□ 957 □ □□ □0-1891 □□ 4146 अर्थात कुल 5103 ग्रोजुएट टीचर्स के रू0 6000/- प्रति माह की दर से मानदेय वे □□□□ □□	42,70,00,451
2	□□ □0-672 □□ 914 □ □□ □0-1891 □□	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	570 अर्थात कुल 1484 पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ बी0□□0 तथा पोस्ट ग्रेजुएट विथ बी0एड0 अध्यापकों के 12000/- प्रति माह की दर से □□□□ □□□□□□ □□	
3	□□ □□-672 के मदरसों में पुस्तकालय की स्थापना □□(रू0 50,000/- प्रति मदरसा)	1,68,00,000
4	□□ □□-672 के मदरसों में सांइस मैथ किट का क्रय (रू0 15000/- प्रति मदरसा)	50,40,000
	□□	44,88,40,451
	समायोजित की गयी धनराशि	39,00,000
	स्वीकृत धनराशि	44,49,40,451

2. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 03,36,36,90,000/- का आय व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में रू0 30,53,54,750/-(रू तीस करोड़ तिरेपन लाख चैवन हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रू0 3,05,83,35,250/- की धनराश अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष मानव संसाधन विव मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपरोक्त शासनादेशों द्वारा 672 व 1891 मदरसों हेतु कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 44,49,40,451/- (रू0 चौवालिस करोड़ उन्नचास लाख चालिस हजार चार सौ इक्यावन मात्र) निम्नंाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते □□-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2017 तक उपलब्ध □□□□ जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान □□□□/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय-सम□ □□ □□□□ □□□□ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, □□मान्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनाव्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को पे्रषित किया जायेगा, जो □□□□□ व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी □□□□

(5) □□ □□-672 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि में से 0 39,00,000/- की धनराशि समायोजित किये जाने के उपरान्त धनराशि अवमुक्त की गयी है। पूर्व में शासन द्वारा 672, 456, □ 273 मदरसों के लाट के कतिपय मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी। संभवता उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्राप्त न होने के कारण यह धनराशि समायोजित की गयी है। अतः इन लाट के मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना इस तथ्य की पुष्टि भारत सरकार से किये जाने के उपरान्त की जाय कि उक्त लाट के मदरसों हेतु भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु धनराशि समायोजित तो नही की गयी है।

(6) शिक्षकों के मानदेय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसी अवधि के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु कम्प्यूटर आदि का क्रय, पुस्तकालय की स्थापना हेतु पुस्तकों आदि का क्रय तथा साइंस व मैथ किट आदि का क्रय शासन द्वारा □□□-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के0100/रा0-□□0)- 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□) □□□□□□□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निर्गत दशा निर्देशां के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-□□0□0 34/52-3-16 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक(प्र□0□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा ए□□ साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

2- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रो , □□□□□□□

5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

6- □□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 □□□□

7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 □□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 □□□□ □

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□ □

10- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (3□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/ □□□□□□ □□□□□-3 □□□□□□ □□□□□□

11- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□ प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।